राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत विभागीय मैन्यूअल

1. विभाग का संगठन, उद्देश्य एवं कार्य :–

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, आपूर्ति एवं वितरण से संबधित केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित अधिनियम,/आदेश/निर्देश यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित आदेश/निर्देश के क्रियान्वयन हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार का प्रशासनिक अंग है। यह एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की नीति एवं उपभोक्ता मामलों के विविध पहलूओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का मुख्य दायित्व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करना है। वर्ष 1987 से उपभोक्ता संरक्षण विषयक कार्य भी इस विभाग के अन्तर्गत जुड गया है। इस प्रकार मुख्य रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन का कार्य, विभाग द्वारा किया जाता है।

1:1 विभाग के उद्देश्य :–

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन,
2. समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों (खाद्यान्न) की खरीद की व्यवस्था,
3. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का प्रवर्तन।
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन एवं उपभोक्ता आन्दोलन को गति देना, एवं
5. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

1:2 कार्य संपादन :–

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ती के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते है :–

(अ) भारत सरकार से आवश्यक वस्तुओं का राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित पात्र व्यक्तियों/लाभार्थियों को राशन कार्ड पर नियन्त्रित सामग्री उपलब्ध करवाना।

(ब) समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों, यथा– गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की खुले बाजार में कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम एवं नेफेड के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना।

(स) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम--2013 के अन्तर्गत पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

(द) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पैट्रोलियम उत्पाद यथा डीजल, पैट्रोल, केरोसीन, एल.पी.जी. इत्यादि के व्यवसायियों को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुरूप अनुज्ञा--पत्र जारी करना तथा इनकी आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था का समन्वय करना।

(इ) उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचो की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ करना, एवं

(ई) उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों से समन्वय करना।

(उ) बिना गैस कनेक्शनधारी सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को केरोसीन 2.5 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड 25.20 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है।

1:3 <u>विभाग का संगठननात्मक ढाँचा</u>

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
प्रशासनिक संरचना
राज्य स्तर

मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले

उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव	सहायक आयुक्त	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	उप विधि परामर्शी	वित्तीय सलाहकार
सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी	जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) / (रिट्स) / (प्रोक्योरमेन्ट)	लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी	
कार्यालय अधीक्षक एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी	प्रवर्तन अधिकारी		प्रवर्तन निरीक्षक	

संभाग स्तर

संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (संभाग मुख्यालय)

जिला रसद अधिकारी–सतर्कता (संभागीय आयुक्त कार्यालय)
(जयपुर,जोधपुर,बीकानेर,अजमेर)

जिला स्तर

जिला कलक्टर्स रसद

जिला रसद अधिकारी

जिला रसद अधिकारी (प्रथम/द्वितीय) संभाग जिला मुख्यालय

जिला रसद अधिकारी (रिट्स) संभाग जिला मुख्यालय जयपुर एवं जोधपुर

प्रवर्तन अधिकारी

प्रवर्तन निरीक्षक

1.3.2 उपभोक्ता संरक्षण हेतु स्थापित फोरम:–

राज्य आयोग (राज्य स्तर पर)

अध्यक्ष

सदस्य

रजिस्ट्रार

उप रजिस्ट्रार

सहायक लेखाअधिकारी

जिला मंच (जिला स्तर पर)

अध्यक्ष

सदस्य

2. विभाग के अधिकारियों की शक्तियां एवं दायित्व :–

क्र.स.	अधिकारी	शक्तियां एव दयित्व
1	शासन सचिव	विभाग के कार्य–कलाप के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप नीति निर्धारण, विभागीय कार्य–कलापों एवं गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन पर्यवेक्षण निगरानी एवं नियंत्रण। विभाग से संबंधित कानूनों में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य निष्पादन।
2	संभागीय आयुक्त	विभाग द्वारा संपादित कार्यों का संभाग स्तर पर समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं कलक्टरों को दिशा–निर्देश प्रदान करना।
3	जिला कलक्टर	विभाग के कार्य एवं दायित्वों के क्रियान्वयन से संबंधित जिला स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं निर्देशन तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर नियंत्रण एवं जब्तशुदा माल को राजसात करने संबंधी कार्यवाही के लिए सुनवाई एवं निस्तारण।
4	उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव व सहायक आयुक्त	कार्य विभाजन के संबंध में समय–समय पर जारी विभागीय आदेशों के अनुसार कार्य करना। (परिशिष्ट–1)
5	वित्तीय सलाहकार	बजट एवं लेखा से संबंधित मामलों के लिए विभाग के प्रभारी अधिकारी।
6	उप विधि परामर्शी	विभाग से संबंधित मामलों में विधिक परामर्श एवं विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की मोनिटरिंग का कार्य।
7	सहायक निदेशक सांख्यिकी	विभाग से संबंधित विभिन्न सांख्यिकी सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण आदि कार्यो के प्रभारी अधिकारी।
8	जिला रसद अधिकारी (सतर्कता)	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं अन्य अधिनियम/आदेश/निर्देश के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य में निरीक्षण की शक्तियां एवं विभाग द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य।
9	जिला रसद अधिकारी (रिट्स)	न्यायालय में विभाग के विरूद्व दायर प्रकरणों की मोनेटरिंग/पैरवी व विभागीय प्रतिनिधि का कार्य संपादित करना।
10	जिला रसद अधिकारी (प्रोक्योरमेन्ट)	राज्य में उत्पन्न फसलों की समर्थन मूल्य पर वर्षवार बिक्री–खरीद हेतु केन्द्रों की स्थापना के निर्देश प्रदान करना एवं प्रोक्योरमेन्ट से संबंधित अन्य कार्य।
11	लेखाधिकारी	वित्तीय सलाहाकार द्वारा निर्देशित लेखा शाखा से संबंधित कार्यो का संचालन एवं कार्य संपादन।

12	सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी	विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों का प्रचार एवं प्रसार।
13	जिला रसद अधिकारी (जिलों में पदस्थापित)	विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्धारित दायित्वों का निवर्हन और विभाग से संबंधित समस्त कार्यो के कियान्वयन के लिए जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी के कार्य संपादन एवं विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण कार्य।
14	प्रवर्तन अधिकारी	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं विभाग द्वारा कियान्वित किए जाने वाले अन्य अधिनियम/आदेश/निर्देश के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण कार्य एवं प्रदत्त अन्य कार्यो का संपादन।
15	प्रवर्तन निरीक्षक	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं विभाग द्वारा कियान्वित किए जाने वाले अन्य अधिनियम/आदेश/निर्देश के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निरीक्षण कार्य एवं प्रदत्त अन्य कार्यो का संपादन।

3. **निर्णय की प्रकिया, निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के विभिन्न चैनलः–** राजस्थान सरकार के मंत्री मण्डल सचिवालय द्वारा प्रसारित कार्य विधि नियम के नियम 21 के अनुसार समय–समय पर प्रसारित आदेशों के अनुरूप है।

4. **कार्य संपादन के लिए निर्धारित मानदण्ड :–** विभागीय मानदण्ड आदेश कमांकः एफ 21 (5)(1) खावि/नि.री./12 दिनांक 09.04.2015 द्वारा निर्धारित है। (परिशिष्ट–2)

5. **विभाग द्वारा प्रवर्तन/कियान्वयन किए जाने वाले अधिनियम/आदेश एवं निर्देशः–**

5.1 विभाग द्वारा मुख्य प्रवर्तनीय अधिनियम/आदेश/नियम/निर्देश इत्यादि जिनका कियान्वयन किया जाता है।

1.आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

2.कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980

3.स्नेह तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन)आदेश 1987

4.लुब्री केटींग ऑयल एवं ग्रीस (प्रोसेसिंग आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन आदेश, 1987)।

5.केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और कीमत नियतन) आदेश, 1993

6.मोटर स्प्रीट एण्ड हाई स्पीड डीजल (वितरण का विनियमन एवं दुरूपयोग निवारण) आदेश 1998

7.पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन का मेन्टेनैन्स, भण्डारण एवं आपूर्ति) आदेश 1999

8.द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (आपूर्ति का नियमन एवं वितरण) आदेश 2000

9.नैपथा (अभिग्रहण, विकय, भण्डारण एवं वाहनों में उपयोग पर निवर्धन)

आदेश 2000

10.सोल्वेंट, रिफाईनेट एवं स्लोप (अभिग्रहण, विकय, भण्डारण एवं वाहनों में उपयोग पर निबर्धन) आदेश 2000

11.द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (मोटर वाहनें में उपयोग का नियमन) आदेश 2001

12.सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियन्त्रण) आदेश 2001

13.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

14.उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम 1987

15.राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु (वितरण का विनियमन)

आदेश 1976

16.राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1980

17.कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वसतु प्रदाय (राजस्थान कन्डीशन ऑफ डिटेशन) आदेश 1980

18.राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियन्त्रण) आदेश 1990

19.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013

5.2 पैरा 5.1 में वर्णित अधिनियम/आदेश के अन्तर्गत समय–समय पर प्रसारित विभिन्न आदेश/निर्देश इत्यादि।

6. **<u>विभाग द्वारा संधारित अभिलेखः</u>**–विभाग मुख्यालय एवं जिला रसद अधिकारी कार्यालयों मे आवश्यकतानुसार निम्न अभिलेख रखे जाते हैं:–

6.1 केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आवंटित आवश्यक वस्तुओं से संबंधित अभिलेख एवं उन्हें राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के लिए किए गए आवंटन से संबंधित अभिलेख।

6.2 राज्य सरकार को आवंटित आवश्यक वसतुओं के उठाव एवं उनके वितरण से संबंधित दिशा–निर्देशों के अभिलेख।

6.3 आवयश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं इसके अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित आदेशों के कियान्वयन एवं उसके उल्लंघन पर की गई कार्यवाही से संबंधित अभिलेख।

6.4सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन से संबंधित अभिलेख।

6.5 समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न के खरीद की व्यवस्था से संबंधित राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख।

6.6 विभाग द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1980 व उपभोक्ता संरक्षण (राजस्थान) नियम 1987 के अन्तर्गत की गई नियुक्तियां, कियान्वयन, तथा इस संदर्भ में प्रसारित विभिन्न आदेश/निर्देश आदि से संबंधित अभिलेख।

6.7 विभाग से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों के संस्थापन से संबंधित अभिलेख एवं लेखाशाखा द्वारा बजट, अंक मिलान, आंतरिक जांच, महालेखाकार, निदेशक, निरीक्षण विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदन, खाद्यान्न एवं चीनी एवं केरोसीन के दर निर्धारण, धारा–6ए की मानीटरिंग, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं, थोक विक्रेताओं की नियुक्ति की मानीटरिंग रेल्वे फ्रेट एवं फरवर्डिंग चार्जेज संबंधी कार्यो की पत्रावलियों एवं पंजिकाऐं।

7. विभाग की नीति एवं इसके कियान्वयन में जनप्रतिनिधियों (Members of the Public) की सहभागिता:–

7.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन एवं निगरानी व्यवस्था के लिए गठित समितियों में जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है। इससे संबंधित विस्तृत विवरण विभाग द्वारा प्रसारित नागरिक अधिकार पत्र में वर्णित है। नागरिक अधिकार पत्र की प्रति विभागीय वैब साइट पर उपलब्ध है।

8. विभाग से संबंधित बोर्ड/परिषद/समितियां

8.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित:–

(क)उचित मूल्य की दुकान आवंटन:–जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर आवंटन सलाहकार समिति गठित है, इस समिति में क्षेत्रिय जनप्रतिनिधि सम्मिलित है। उचित मूल्य दुकान आवंटनसलाहकार समितियों में एक–एक सामाजिक कार्यकर्ता, उपभोक्ता एवं महिला उपभोक्ता के मनोनयन का प्रावधान है। समिति की अभिशंषा पर उचित मूल्य की दुकान का आवंटन जिला लेक्टर/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख)सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी से संबंधित सतर्कता समितियां:– सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी के लिए जिला, तहसील एवं उचित मूल्य की दुकान के स्तर पर खाद्य सुरक्षा_एवं सतर्कता समिति गठित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

(1) जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति

जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति में निम्न लिखित सदस्य होंगे :–

1. जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2. जिले के समस्त सांसद	सदस्य

3. जिले के समस्त विधायक	सदस्य
4. जिला प्रमुख	सदस्य
5. जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति	सदस्य
6. जिले की समस्त नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों के अध्यक्ष	सदस्य
7. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य
8. उपभोक्ता संगठनों के एक प्रतिनिधि (जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत)	सदस्य
9. चार सामाजिक कार्यकर्ता/उपभोक्ता (इनमें एस.टी.,एस.सी., महिला एवं निशक्तःव्यक्ति सम्मिलित होगा, जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा)	सदस्य
10.जिला रसद अधिकारी	सदस्य सचिव

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।

(2) <u>तहसील स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति</u>

1. उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. प्रधान पंचायत समिति (उपखण्ड मुख्यालय वाली तहसीलों में अध्यक्ष सम्बन्धित उपखण्ड–अधिकारी होगें एवं तहसीलदार मात्र सदस्य होगें)	उपाध्यक्ष
3. स्थानीय निकाय के दो सदस्य जिनका मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जावेंगा।	सदस्य
4. पंचायत समिति के दो सदस्य, जिन्हें उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जावेगा।	सदस्य
5. स्थानीय विधायक	सदस्य
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति	सदस्य
7. उपभोक्ता संगठन का एक प्रतिनिधि (उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनोनीत)	सदस्य
8. चार सामाजिक कार्यकर्ता/उपभोक्ता (इनमें एस.टी.,एस.सी., महिला एवं निशक्तःव्यक्ति सम्मिलित होगा, जिसका मनोनयन जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा)	सदस्य
9. सम्बन्धित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक	सदस्य

इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र होगा। उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित तहसीलों एवं अन्य तहसीलों में कमांक 8 एवं 9 के सदस्यों का मनोनयन उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

(3) <u>उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति</u>

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समिति का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) <u>शहरी क्षेत्र के लिये</u>

1. वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2. सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
3. उपभोक्ता (दो)	सदस्य
4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता श्रेणी में एस.सी., एस.टी. महिला एवं निःशक्त जन को सम्यत प्रतिनिधित दिया जायेगा। जिला मुख्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा एवं अन्य स्तर पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) <u>ग्रामीण क्षेत्र के लिये</u>

1. सरपंच	अध्यक्ष
2. उपभोक्ता (दो)	सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक	सदस्य
4. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी)	सदस्य
5. सामाजिक कार्यकर्ता (दो)	सदस्य
6. पंच (एक)	सदस्य

सामाजिक कार्यकर्ता एवं उपभोक्ता श्रेणी में एस.सी., एस.टी. महिला एवं निःशक्त जन को सम्यत प्रतिनिधित दिया जायेगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया जावेगा।

8.2 <u>उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित</u>

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में 4 तथा जोधपुर जिले में 2 मंच कार्यरत है। उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न लिखित विभिन्न प्रयास किये गये हैं।

1. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों का सुदृढ़ीकरण।
2. विधिक मापविज्ञान का क्रियान्वयन।
3. उपभोक्ता विषयक योजनाएँ प्रचार–प्रसार।
4. राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष।
5. राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का पुनर्गठन एवं मनोनयन।
6. संभागीय उपभोक्ता जागृति सम्मेलनों का आयोजन।
7. उपभोक्ता हैल्पलाइन।
8. उपभोक्ता जागृति विषयक प्रचार–प्रसार।
9. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन।

9. **विभाग के अधिकारियों की निर्देशिका:–** मुख्यालय एवं जिला स्तर पर पदस्थापित अधिकारियों की सूची विभागीय वैब साइट पर उपलब्ध है।

10. **विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मासिक पारिश्रमिक तथा विनियमों के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति:–** राज्य सरकार द्वारा विभाग के लिए स्वीकृत पदो के अनुरूप निर्धारित वेतनमान के अनुसार देय वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते है।

11. **विभाग के लिए आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण:–** वर्ष 2017–18 के लिए बजट प्रावधान (परिशिष्ट–3)पर सलग्न है। निर्धारित मदों में बजट सीमा में नियमानुसार व्यय किया जाता है।

12. **विभाग से संबंधित अनुदान (Subsidy) कार्यक्रम एवं लाभान्वितों का विवरण:–**अनुदान कार्यक्रम के संबंध में रीति एवं नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अनुदानित उपभोक्ता वस्तुएं आवंटित की जाती है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही वस्तुओं का निम्न मापदण्ड प्रचलित है:–

1. **गेंहू वितरण :–** प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा आंवटित खाद्यान्न को अनुदानित दर पर योजना के पात्र व्यक्तियों को निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों/परिवारों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है:–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	राशन कार्डधारक (लाखों में)	मात्रा(प्रतिमाह प्रति परिवार/व्यक्ति)	दर (रूपये प्रति किलो)
अन्त्योदय अन्न योजना	657527 परिवार	35 किलोग्राम प्रति परिवार	02 रूपये प्रति किलाग्राम
अन्य पात्र लाभार्थी	40497613 व्यक्ति	05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति	02 रूपये प्रति किलाग्राम

2.**चीनी वितरण :–** राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) को प्रतिमाह 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 25.00 रूपये प्रति किलो (माह नवम्बर,2016 से) की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार द्वारा जारी नई मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि." के माध्यम से चीनी की खरीद की जाकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है।

3. **केरोसीन वितरण :–**राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से राज्य को त्रैमासिक केरोसीन का आवंटन प्राप्त होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्धेश्य से वितरित कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया जाता है। वर्तमान में राज्य में गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जा रहा है। बिना गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को 2.5 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड केरोसीन का वितरण पॉस मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है।

13. **विभाग द्वारा प्रदत्त रियायत/सुविधाएं:–** वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

14. **विभाग द्वारा प्राप्य/संधारित इलैक्ट्रोनिक सूचनाएं :–** सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार की प्रतिबद्धता एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के कार्य के अर्न्तगत राज्य मे उचित मूल्य दुकानों, गोदामों एवं थोक विक्रेताओं का डेटाबेस कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कम्प्यूटरीकरण के अर्न्तगत आवश्यक वस्तुओं के आवंटन–उठाव, आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था के साथ ही राज्य एवं जिला मुख्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कम्प्यूटरीकरण योजना के अर्न्तगत राज्य में डिजिटाईज्ड राशन कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है । 01 अप्रेल 2015 से नवीन / डुप्लीकेट राशनकार्ड बनाने एवं राशनकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने, घटाने एवं त्रुटि सुधार का कार्य ई–मित्र के माध्यम से किया जा रहा है । नवीन डिजिटाईज्ड राशन कार्ड बनाने के कार्य को त्वरित गति से निपटाने के लिये समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित नगर परिषद / नगर पालिका क्षेत्रों में प्रवर्तन अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.06.2015 तथा प्रवर्तन निरीक्षकों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किये जाने की अधिसूचना दिनांक 27.07.2015 को जारी की गई।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का end to end computerization के अर्न्तगत राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर PoS मशीने स्थापित कर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है ।। पॉस मशीनों की खरीद एवं उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित करने की कार्यवाही राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड (RISL) द्वारा किया किया गया। राज्य की 24734 उचित मूल्य की दुकानों पर PoS मशीने स्थापित कर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है ।

15. **नागरिकों की सुविधार्थ विभाग द्वारा संचालित/पुस्तकालय/वाचनालय :–** वर्तमान में विभाग में यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

16. <u>लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदसंज्ञा / पदनाम तथा अन्य विशिष्टियां :–</u> सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हुए है:–(परिशिष्ट–4 व 5)

क्र.सं.	विभाग	राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर	1.उपायुक्त (प्रथम) एवं शासन उप सचिव 2.उपायुक्त (द्वितीय) 3.वित्तीय सलाहकार 4. सहायक आयुक्त (खाद्य)– नोडल अधिकारी (सू.के.अ.) 5. उप विधि परामर्शी 6.जिला रसद अधिकारी(प्रोक्योरमेन्ट) 7.जिला रसद अधिकारी(सतर्कता) 8. सहायक निदेशक(सांख्यिकी) 9. उपनिदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग	अतिरिक्त खाद्य आयुक्त
2.	जिला स्तर पर	जिला रसद अधिकारी	जिला कलक्टर (रसद)

17. अन्य प्रासंगिक सूचनाएं।

1. वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटन एवं उठाव का प्रतिशत निम्नानुसार रहा है:–

योजना	आवंटन (मै.टन में)	उठाव (मै. टन में)	प्रतिशत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना	2791572	2572937	92.17

2. राज्य में उचित मूल्य दुकानों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

शहरी क्षेत्र	5636
ग्रामीण क्षेत्र	19519
कुल	25155

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर (ग्रामीण क्षेत्र की 69.09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र की 53 प्रतिशत) प्रति माह 232631 मै.टन गेहूँ का आवंटन प्राप्त होता है।

4. विभाग द्वारा उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों की जागृति के उद्देश्य से 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एवं 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर राज्य एवं जिला स्तर पर सार्वजनिक समारोह एवं कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक. एफ.3 (22) खा.वि./स्था.मु./90-111- जयपुर, दिनांक 04.03.14

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3 (22)खा.वि./स्था.मु./90-111- दिनांक 04.03.10 अतिक्रमित करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग में पदस्थापित अधिकारियों का कार्य विभाजन तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है :-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक	पद नाम	शाखा/ कार्य	लिंक अधिकारी
1	उपायुक्त / उप सचिव (प्रथम)	1. लोक सभा, विधान सभा, राज्य सभा 2. स्थापना शाखा (प्रवर्तन एवं मुख्यालय) 3. विभागीय जॉच, रेकार्ड, मुख्यमंत्री सेल एवं बैठक 4. पैट्रोलियम शाखा 5. राशनकार्ड अभियान का पर्यवेक्षण 6. माल नियंत्रण अधिनियम	उपायुक्त/ उप सचिव (द्वितीय)
2	उपायुक्त/ उप सचिव (द्वितीय)	1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन 2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली 3. केरोसीन, चीनी एवं खाद्यान्न आवंटन	उपायुक्त/ उपसचिव (प्रथम)
3	सहायक आयुक्त	1. सूचना का अधिकार 2. भंडार- भुगतान 3. प्रशिक्षण – निरीक्षण 4. जिला कलेक्टर्स से प्राप्त अर्द्ध शासकीय पत्रों का संधारण एवं समीक्षा	उपायुक्त/ उप सचिव (द्वितीय)
4	उप विधि परामर्शी	1. न्याय, विभागीय विधि शाखा	सहायक आयुक्त
5	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	1. मूल्य प्रबोधन 2. ऑनलाइन सूचना संकलन प्रगति प्रतिवेदन	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
6	जिला रसद अधिकारी (उपार्जन)	उपार्जन (Procurement)	जिला रसद अधिकारी (रिट्स)

7	जिला रसद अधिकारी (रिट्स)	रिट्स	जिला रसद अधिकारी (सतर्कता)
8	जिला रसद अधिकारी (सतर्कता)	सतर्कता शाखा	जिला रसद अधिकारी (उर्पाजन)
9	सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी	जनसंपर्क शाखा, पुस्तकालय शाखा	

अधोहस्ताक्षरकर्ता से अन्यथा निर्देश के अभाव में संबंधित अधिकारी अपनी–अपनी शाखा से संबंधित पत्रावलियॉ सीधे अति. खाद्य आयुक्त को प्रस्तुत करेगें ।

उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक	पद	शाखा/कार्य
1	अतिरिक्त निदेशक (उपभोक्ता मामले)	अतिरिक्त निदेशक (उपभोक्ता मामले) का पूर्णकालिक पदस्थापन होने तक उपायुक्त (प्रथम) अपने कार्य के साथ आयोग/मंच से संबंधित उपभोक्ता विषयक कार्य संपादित करेगे ।
2	उप निदेशक (उपभोक्ता मामले)	उपभोक्ता संरक्षण शाखा (योजना, प्रचार प्रसार, उपभोक्ता कल्याण कोष प्रशिक्षण हैल्पलाइन) ।
3	सहायक लेखाधिकारी (बजट)	उपभोक्ता हैल्पलाइन का वित्तीय व्यवस्था/ बजट का कार्य देखेंगे एवं संबंधित पत्रावली उप निदेशक (उपभोक्ता मामले) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगें ।

– संबंधित अधिकारी अपनी–अपनी शाखा से संबंधित पत्रावलियॉ सीधे निदेशक (उपभोक्ता मामले) को प्रस्तुत करेगें ।

– वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित कार्यों के साथ राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष का कार्य भी नियमित देखेगें ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर
4. समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान, जयपुर
6. प्रशासनिक अधिकारी/ एवं शाखा प्रभारी

अतिरिक्त मुख्य सचिव

परिशिष्ट-2

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः– एफ 21(5)(1)खा.वि./निरी./12 जयपुर, दिनांक : 9.04.2015

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के आदेश कमांक प. 3(8)प्रसु/टाईम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 की पालना के क्रम में एवं विभागीय समसंख्यक आदेश कमांक एफ 3(19)खा.वि./स्था.मु./92–II दिनांक 17.09.2014 को अतिक्रमित करते हुये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वार्षिक किये जाने वाले दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के मानदण्ड (Norms) विद्यमान, मानदण्डो को संशोधित करके इन नये निर्देशो के परिप्रेक्ष्य में आदेश प्रसारित किये जाते है।

इन दौरो, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के लिये मूल इकाई (Basic unit) ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति होगी:–

क्र. सं.	पद नाम अधिकारी	विद्यमान मानदण्ड	निरीक्षण हेतु आवंटित पंचायतें एवं पंचायत समितियाँ।
1	अतिरिक्त खाद्य आयुक्त	वर्ष में 24 दौरे, 24 निरीक्षण एवं 12 रात्रि विश्राम	संभाग–बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा की ग्राम पंचायते एवं पंचायत समितियाँ।
2	वित्तीय सलाहकार	वर्ष में 30 दौरे, 30 निरीक्षण एवं 15 रात्रि विश्राम	बीकानेर संभाग–श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ, चूरू की ग्राम पंचायते एवं पंचायत समितियाँ।
3	उपायुक्त (प्रथम)	वर्ष में 30 दौरे, 30 निरीक्षण एवं 15 रात्रि विश्राम	अजमेर संभाग–अजमेर, भीलवाडा, नागौर, टोंक की ग्राम पंचायते एवं पंचायत समितियाँ।
4	उपायुक्त (द्वितीय)	वर्ष में 30 दौरे, 30 निरीक्षण एवं 15 रात्रि विश्राम	जयपुर संभाग–अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर एवं झुंझुनू की ग्राम पंचायते एवं पंचायत समितियाँ।
5	सहायक आयुक्त	वर्ष में 60 दौरे, 60 निरीक्षण एवं 45 रात्रि विश्राम	जोधपुर संभाग–जोधपुर, बाडमेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही एवं जालोर की ग्राम पंचायते एवं पंचायत समितियाँ।
6	जिला रसद अधिकारी (प्रोक्योरमेंट)	वर्ष में 60 दौरे, 60 निरीक्षण एवं 45 रात्रि विश्राम	उदयपुर संभाग–उदयपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ में आने वाली ग्राम पंचायते एवं पंचायत समितियाँ।
7	जिला रसद अधिकारी (सतर्कता)	वर्ष में 60 दौरे, 60 निरीक्षण एवं 45 रात्रि विश्राम	भरतपुर संभाग–भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर में आने वाली ग्राम पंचायते एवं पंचायत समितियाँ।
8	जिला रसद अधिकारी (रिट्स)	वर्ष में 60 दौरे, 60 निरीक्षण एवं 45 रात्रि विश्राम	कोटा संभाग–कोटा, बांरा, बून्दी एवं झालावाड में आने वाली ग्राम पंचायते एवं पंचायत समितियाँ।

अधिकारियों को दौरो, निरीक्षणों एवं रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशा–निर्देश भी जारी किये जाते है :–

1. अधिकारियों द्वारा लिये जाने वाले दौरो, निरीक्षणों एवं रात्रि बिश्राम का पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र–1 में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
2. अधिकारी अपना प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सक्षम अधिकारी के सम्मुख क्रम से कम 15 दिवस पूर्व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगें। कार्यक्रम प्रस्तावित व अनुमोदित करने की प्रक्रिया राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी।
3. राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प 3(8)प्र.सु./टाईम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 में दिये गये निर्देशो के परिप्रेक्ष्य में दौरे, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई, निस्तारण एवं समस्त कार्यवाही करेगें।
4. निरीक्षण केवल औपचारिकता के लिये नहीं किये जावे बल्कि विस्तृत होने चाहिये और इसमें विभाग से संबंधित सभी बिन्दुओं को समाहित करते हुये समस्याओं का उल्लेख किया जाना चाहिये।
5. राज्य में विभाग द्वारा नये राशन कार्ड बनाने का अभियान चलाया गया है, निरीक्षण के दौरान राशन कार्ड बनाने की प्रगति की जानकारी/समस्याओं का निराकरण किया जावें।
6. विभागीय उपभोक्ता बजट योजना, उपभोक्ता कल्याण के अन्य कार्य, राशन टिकिट की योजना की समीक्षा भ्रमण/निरीक्षण के समय आवश्यक रूप से की जावे।

7. जिले की कम से कम 5 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण भी किया जावे जिनमें 3 उचित मूल्य दुकाने शहरी तथा 2 ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें हो तथा प्रत्येक दुकान से संबंधित 5 उपभोक्ता से पूछताछ की जाकर जांच की जावे कि आवश्यक वस्तुएं उनको सही समय व उचित मूल्य पर प्राप्त हो रही हैं अथवा नहीं ? इसके अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों से संबंधित स्थानीय सतर्कता समिति के सदस्य से भी चर्चा की जावे व उचित मूल्य दुकानों से वितरण होने वाली सामग्री के वितरण व सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने के सुझाव भी लिये जावे।
8. उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण के दौरान विभागीय समसंख्यक अ.शा.टीप दिनांक 28.3.2000 को प्रश्नावली के निम्न बिन्दुओं का पूर्णरूपेण ज्ञान रखते हुये तथा स्वविवेक से अतिरिक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में निरीक्षण किया जावे कि :–

(i) क्या उपभोक्ता दिवसों में राशन दुकाने नियमित रूप से खुलती है या राशन सामग्री का पूर्ण वितरण किया जाता है ?

(ii) क्या राशन की दुकानों पर वस्तुओं का स्टॉक प्रदर्शन उचित स्थान पर किया जाता है ? क्या सूचना पट्ट लगे हुये है ?

(iii) क्या राशन दुकानों पर निरीक्षण के लिये रजिस्टर उपलब्ध रहता है ?

(iv) क्या तहसील स्तरीय व जिला स्तरीय सतर्कता समितियों की प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है ?

(v) क्या राशन की दुकानों पर क्षेत्रवार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की जानकारी दैनिक समाचारपत्रों, पंचायत के नोटिस बोर्ड पर तहसील व पंचायत समिति के नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपभोक्ताओं को दी जाती है ?

(vi) उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुऐं लेने में किन–किन कठिनाईयों का सामना करना पडता है ? क्या दुकान अक्सर बंद मिलती है ? वस्तुओं की उपलब्धता का पता नहीं चलता ? सामान खराब है आदि की शिकायतों संबंधी शिकायत पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती ? इत्यादि।

9. क्या सरपंच, ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानो के आंवटन उठाव एवं वितरण का प्रत्येक माह सत्यापन किया जा रहा है।
10. क्या उपखण्ड अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक माह निरीक्षण/जांच की जा रही है तथा बैठकों का आयोजन कराया जा रहा है।
11. विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावें।
12. विभाग की सतर्कता शाखा से जांच हेतु जो शिकायत भेजी जाती है, उन पर तत्परता से कार्यवाही की जाती है या नहीं ? तथा विभाग द्वारा दी गई समयावधि में जांच पूर्ण की जा रही है अथवा नहीं ? अधिकारी लम्बित मामलों की सूची साथ में ले जायेगें तथा उनके शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
13. प्रत्येक अधिकारी को 2 जिलो का निरीक्षण करना तथा निरीक्षण प्रतिवेदन शीघ्र जारी करना आवश्यक है।
14. वित्तीय सलाहकार, सहायक आयुक्त, जिला रसद अधिकारी (उर्पाजन) एवं जिला रसद अधिकारी (सतर्कता) आवंटित जिलों में निरीक्षण/भ्रमण जाते समय एक दूसरे के वाहनों का उपयोग लेगें तथा जिला रसद अधिकारी (रिट्स) आवंटित जिलों में जाने से पूर्व वाहन हेतु मांग करने पर इन्हें राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर से वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।
15. उक्त निर्देश 1 अप्रेल, 2015 से प्रभावी होगें।

(डॉ.सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2 वरिष्ठ उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3 प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग के अ0शा0 टीप कमांक 3(8)प्रसु/टाईम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 के कम में।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6 सम्बन्धित जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
7 समस्त अधिकारी, खाद्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
8 निरीक्षण/सतर्कता/खाद्यान्न शखा/स्थापना (मुख्यालय), खाद्य विभाग मुख्यालय, राजस्थान जयपुर।
9 रक्षा पत्रिका।

(राजेन्द्र सिंह)
सहायक आयुक्त (खाद्य)

परिशिष्ट-2 113

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक: एफ 21(5)(1)खा.वि./निरीक्षण/2012 जयपुर, दिनांक 9.04.2015

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(8)प्र.सु./टाईम्स /2013 दिनांक 24.12.2014 के क्रम में एवं विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ 21(28)(33)खा. वि./निरीक्षण/2009 दिनांक 14.10.2009 को अतिक्रमित करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले मासिक दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के मानदण्ड (Norms) विद्यमान मानदण्डो को संशोधित करके इन नये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में प्रसारित किये जाते है।

इन दौरो, निरीक्षणों एवं रात्रि विश्राम के लिये मूल इकाई (Basic Unit) ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति होगी।

क.सं.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम मय पद	निरीक्षण उचित मूल्य दुकाने	अन्य अनुज्ञापनधारी एवं थोक विक्रेता		भ्रमण	
			पेट्रो. कियान्वयन	गैस एजेन्सी	दिन	रात
1	जिला रसद अधिकारी	आवंटित ग्राम पंचायत क्लस्टर में आने वाली एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार की 10 दुकानों का निरीक्षण	2	2	7	3
2	प्रवर्तन अधिकारी	आवंटित ग्राम पंचायत क्लस्टर में आने वाली एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार की 15 दुकानों का निरीक्षण	2	3	10	6
3	प्रवर्तन निरीक्षक	आवंटित ग्राम पंचायत क्लस्टर में आने वाली एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार की 15 दुकानों का निरीक्षण	0	3	10	6

अधिकारियों/कर्मचारियों के दौरो, निरीक्षणों एवं रात्रि विश्राम के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशा-निर्देश भी जारी किये जाते है :-

1. अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले दौरो, निरीक्षणों एवं रात्रि विश्राम का पूर्ण विवरण संलग्न प्रपत्र-1 में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
2. पंचायत क्लस्टर का निर्धारण सभी जिला रसद अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय से सम्पर्क करके करेगें।
3. पंचायत क्लस्टर की पहचान, क्लस्टर की सबसे बडी पंचायत (जनसंख्या के आधार पर) के नाम से की जायेगी।
4. वे अधिकारी जिनको आवंटित "क्लस्टर पंचायतों" का दौरा करना है वे अपना प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम सक्षम अधिकारी के सम्मुख कम से कम 15 दिवस पूर्व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगें। कार्यक्रम प्रस्तावित व अनुमोदित करने की प्रकिया राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर उपलब्ध करायी जायेगी।
5. जनसुनवाई कार्यक्रम जिला कलेक्टर कार्यालय से समन्वय करकें करेगें।

परिशिष्ट - 2

6. राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प 3 (8)प्र.सु./टाईम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दौरे, रात्रि विश्राम, शिकायतों की सुनवाई, निस्तारण एवं समस्त कार्यवाही करेगें।
7. खाद्य विभाग मुख्यालय पर पदस्थापित प्रवर्तन निरीक्षक/प्रवर्तन अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी को उपरोक्त मापदण्डों से छूट दी गई है किन्तु उन्हें विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर वांछित जांच कार्य करने होंगे।
8. पी.डी.एस. ऑर्डर, 2001 की पालना में सभी प्रवर्तन स्टाफ को प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों की विस्तृत जांच छः माह में एक बार करनी आवश्यक है। जिला रसद अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि उपलब्ध प्रवर्तन स्टाफ में कार्य विभाजन इस प्रकार हो कि प्रत्येक उचित मूल्य दुकान का सघंन निरीक्षण/जांच किया जाना संभव हो। निरीक्षण मात्र औपचारिक न हो।
9. अन्य अनुज्ञापनों की जांच के लिये प्रवर्तन स्टाफ की आवश्यकता होने पर जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त कर सकते है।
10. सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी अपने अधीनस्थ प्रवर्तन स्टाफ की एम.पी.आर. अपने कार्यालय में ही संधारित करेंगे तथा प्रफॉर्मा के रूप में संकलित सूचना खाद्य विभाग को प्रत्येक प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक की प्रगति रिपोर्ट पर टिप्पणी सहित विभाग को प्रेषित करेंगे। यदि किसी प्रवर्तन कर्मी ने निर्धारित मापदण्ड से कम कार्य किया है, तो उसका दायित्व संबंधित जिला रसद अधिकारी का होगा।
11. जिला रसद अधिकारी नियमित रूप से अपनी एम.पी.आर. मय निरीक्षण नोट अलग से विभाग को भेजते रहेंगे। जिला रसद अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा एम.पी.आर. के साथ सलंग्न निरीक्षण नोट एवं निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति के आधार पर खाद्य विभाग मुख्यालय स्तर पर की जावेगी।
12. समस्त जिला रसद अधिकारियों से प्राप्त एम.पी.आर. को आधार बनाकर समस्त प्रवर्तन स्टाफ के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की समीक्षा खाद्य विभाग मुख्यालय स्तर पर की जावेगी।
13. मासिक कार्य विवरण हेतु जारी उक्त नवीन निर्देश 1 अप्रेल, 2015 से प्रभावी होगें।

9/4/15

(डॉ0 सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2 वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3 प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की अ0शा0 टीप क्रमांक 3(8)प्र.सु./टाईम्स/2013 दिनांक 24.12.2014 के क्रम में।
4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
5 निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6 संबंधित जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
7 समस्त अधिकारीगण, खाद्य विभाग (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर।
8 निरीक्षण/सतर्कता/खाद्यान्न शाखा, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9 रक्षा पत्रिका।

(राजेन्द्र सिंह)
सहायक आयुक्त (खाद्य)

परिशिष्ट-3

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।

विभाग के लिए आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण

(अ) विभाग की योजनायें

क्र. स.	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2017–18			माह, 31 अक्टूबर, 2017 तक का वास्तविक व्यय		
		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग (3+4)	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अन्नपूर्णा योजना (751)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2.	उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम (1408)	0.00	50.00	50.00	0.00	0.20	0.20
3.	उपभोक्ता मामले विभाग (2156)	154.33	0.00	154.33	69.00	0.00	69.00
4.	उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (750)	5.01	**0.01**	5.02	0.00	0.00	0.00
5.	एपीएल परिवारों को फोरटीफाईड आटा वितरण (2115)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
6.	केरोसीन सब्सिडी का सीधे ट्रांसफर (2117)	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
7.	खाद्य विभाग का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण (2116)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
8.	खाद्यान्न वितरण (1772)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
9.	बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को चीनी वितरण (2114)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

क्र. स.	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2017–18			माह, 31 अक्टूबर, 2017 तक का वास्तविक व्यय		
		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग (3+4)	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	भार एवं माप (1244)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.	भार एवं माप का विनियमन (754)	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
12.	राजस्थान राज्य खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति निगम लि0, (1099)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
13.	उपभोक्ता संरक्षण के तहत राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन व्यय (756)	0.00	630.04	630.04	0.00	0.00	0.00
14.	उपभोक्ता हैल्पलाईन की स्थापना (1407)	0.00	25.01	25.01	0.00	18.15	18.15
15.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (2137)	20098.35	19693.97	39792.32	6225.73	6359.79	12585.52
16.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्पयूटराईजेशन (1774)	925.81	925.81	1851.62	17.45	17.70	35.15
		21401.87	**21324.87**	**42726.53**	**6312.18**	**6395.84**	12708.02

लेखाधिकारी

(अ) योजनाओं के अतिरिक्त बजट प्रावधान

क्र. स.	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2017–18			माह, 31 अक्टूबर, 2017 तक का वास्तविक व्यय		
		राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग (3+4)	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3456–00–001–(01)–[01] – मुख्यालय कर्मचारी वर्ग – प्रतिबद्ध	559.07	0.00	**559.07**	248.75	0.00	**248.75**
2.	3456–00–001–(01)–[02] – जिला कर्मचारी वर्ग – प्रतिबद्ध	2465.30	0.00	**2465.30**	1313.57	0.00	**1313.57**
3.	3456–00–001–(01)–[07] – उपभोक्ता संरक्षण – प्रतिबद्ध	2141.65	0.00	**2141.65**	1125.71	0.00	**1125.71**
4.	3456–00–001–(01)–[04] – उपभोक्ता मामले निदेशालय – प्रतिबद्ध	20.47	0.00	**20.47**	9.20	0.00	**9.20**
5.	3456–00–001–(01)–[08] – उपभोक्ता जागरूकता प्रतिबद्ध – प्रतिबद्ध	10.00	0.00	**10.00**	0.00	0.00	**0.00**
6.	3475–00–106–(01)–[04] – प्रधान कार्यालय – प्रतिबद्ध	31.24	0.00	**31.24**	13.18	0.00	**13.18**
7.	3475–00–106–(01)–[05] – संभाग – प्रतिबद्ध	24.21	0.00	**24.21**	5.50	0.00	**5.50**
8.	3475–00–106–(01)–[06] – जिला कार्यालय – प्रतिबद्ध	24.08	0.00	**24.08**	0.00	0.00	**0.00**
9.	3456–00–102–(02)–[05] – सहरिया एवं कथौडी जाति को निशुल्क खाद्यान्न – प्रतिबद्ध	0.01	0.00	**0.01**	0.00	0.00	**0.00**
10.	3456–00–102–(02)–[06] – एपीएल अन्न योजना – प्रतिबद्ध	0.01	0.00	**0.01**	0.00	0.00	**0.00**
11.	3456–00–102–(02)–[09] – केरोसीन परिवहन योजना – प्रतिबद्ध	5.00	0.00	**5.00**	5.00	0.00	**5.00**
		5281.04	**0.00**	**5281.04**	**23.68**	**0.00**	23.68

लेखाधिकारी

परिशिष्ट b -4

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 102(5)खा.वि./आर.टी.आई./2012 जयपुर,दिनांक: 14/7/15

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए अधिनियम की धारा 5 उप धारा (1) के प्रावधानानुसार विभाग के निम्नांकित अधिकारियों को उनके अधीन शाखाओं से सम्बन्धित सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किया जाता है:-

1. वित्तीय सलाहकार
2. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम)
3. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (द्वितीय)
4. उप विधि परामर्शी
5. सहायक आयुक्त
6. सहायक निदेशक(सांख्यिकी)
7. जिला रसद अधिकारी(सतर्कता)
8. जिला रसद अधिकारी (उपार्जन)
9. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले

इनके प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग होंगे।

जिला स्तर पर समस्त जिला रसद अधिकारियों को राज्य लोक सूचना अधिकारी तथा समस्त जिला कलेक्टर (रसद) को प्रथम अपीलीय अधिकारी पदाभिहित किया जाता है।

सहायक आयुक्त (खाद्य) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्य के लिये नोडल अधिकारी नामित है, को प्रमुख शासन सचिव एंव अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के कार्यालय में प्राप्त होने वाले सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्रों हेतु लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किया जाता है। साथ ही वे नोडल अधिकारी के रूप में विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम सम्बन्धित समन्वय का समस्त कार्य देखेंगे।

14/7/15

(डॉ. सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

परि।21/11-5

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 102(5)खा.वि./आर.टी.आई./2012 जयपुर, दिनांक:- 8/12/12

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी नियुक्ति के सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना कमांक एफ 97(5)खा.वि./सा.वि.प्र./2001 दिनांक 23.09.05, 30.01.2006 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 102(5)खा.वि./आर.टी.आई./2012 दिनांक 13.08.2012 को अधिष्ठित करते हुये सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 उप धारा (1) में अपीलीय अधिकारी निम्न प्रकार नियुक्त किया जाता है:-

क.सं.	विभाग	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।

राज्यपाल की आज्ञा से

SD
(डा0 सुबोध अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह (अनु.-5) विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ), सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राज. जयपुर।
3. पंजीयक, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राज. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
7. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
8. वरिष्ठ निजी सहायक, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त।
9. समस्त अधिकारीगण खाद्य विभाग, जयपुर।
10. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, खाद्य विभाग, जयपुर।
11. रक्षा पत्रिका/कम्प्यूटर ऑपरेटर (खाद्य) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(घनश्याम अग्रवाल)
सहायक आयुक्त खाद्य